रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 1997/फाल्गुन 28, 1918
No. 8] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 1997/PHALGUNA 28, 1918

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1997

फा सं. ए-12022/5/96-पी.ई.-1.—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 14 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव पत्तन न्यास के उपाध्यक्ष कैप्टन आर. राम कुमार को अतिरिक्त प्रभार संभालने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए अथवा नियमित पद धारक द्वारा पदभार संभालने तक, इनमें से जो भी पहले हो, मुरगांव पत्तन न्यास का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करती है।

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 1997

F. No. A-12022/5/96-PE-I.—In exercise of the power conferred on the Central Government by Section 14 A of the Major Port Trust Act. 1963, the Central Govt. appoints Capt. R. Ram Kumar, Dy. Chairman, Mormugao Port Trust as Acting Chairman, Mormugao Port Trust w.e.f. the date he assumes the additional charge for a period of three months or till a regular incumbent joins, whichever is earlier.

K.V. RAO, Joint. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997